Dr. Gautam Kumar.
BA(H) Part-II
PAPER-III

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया (Procedure for Appointment of Judges of the supreme court)

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वर्ष 1993 तक मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते थे परन्तु वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय समिति का गठन होता है, जो न्यायाधीश के नामों की सिफारिश का प्रस्ताव विधि मंत्रालय को भेजता है। विधि मंत्रालय समिति द्वारा सुझाए गए नामों की जाँच करने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति उन नामों की स्वीकृति दे सकता है अथवा उच्चतम न्यायालय के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय नामों के प्रस्ताव को दूसरी बार राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति उन नामों पर स्वीकृति देने को बाध्य हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये जाते हैं।

वर्ष 2014 से जजों (न्यायाधीशों) की नियुक्तियाँ आयोग कानून (Judges Appointment commission Act) के अनुसार, राष्ट्रपति इस आयोग की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। इस आयोग में सर्वोच्च

Scanned with CamScanner

न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, तथा उनके वरिष्ठ जज, भारत के कानून मंत्री तथा दो प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री, भारत का प्रधान जज तथा लोकसभा में विपक्षी दल के नेता चुनेंगे। न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति - भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने अथवा लम्बे समय तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कर सकते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्य का पालन करेगा।

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत न्यायालय के कार्यों की अधिकता होने पर। अथवा न्यायालय का कार्य का निष्पादन न होने की स्थिति में, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होने पर, उसे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी शक्तियाँ, अधिकारिता व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

Scanned with CamScanner